

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 87/08
संस्थापन दिनांक:-16/11/04
फाईलिंग नं. 233504000112008

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

देवेन्द्र पिता जगन मेहरा
 उम्र 42 वर्ष, निवासी रानीपुर,
 थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि दिनांक 22, 23.02.2008 की दरम्यानी रात्रि थाना आमला अंतर्गत ग्राम डुंगरिया में फरियादी पिरमू के मकान के सामने बने खुले कोठे, से सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से फरियादी पिरमू के आधिपत्य की दो बकरियां कीमती रु. 2500/- को बेईमानी पूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए वहां से हटाकर चोरी की।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी पिरमू की ओर से अभियुक्त से राजीनामा किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु घटना दिनांक को किया गया अपराध मात्र 2000 रु. संपत्ति तक ही शमनीय होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया था। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवेचक साक्षी एवं अन्य साक्षियों को न्यायालय के द्वारा अथक प्रयास किए जाने बाद भी साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित ना हो पाने के कारण एवं फरियादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन को देखते हुए साक्षीबगण की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर प्रकरण में कार्यवाही अग्रसर की गई है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी पिरमू ने दिनांक 23.02.2008 को थाना बोरदेही आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि वह ग्राम डुंगरिया में रहता है। दिनांक 22.02.2008 को रात्री में मकान के सामने खुले कोठे में एक बकरी एवं एक पाठ बांध कर रखी थी। दिनांक 23.02.2008 को सुबह उसकी पत्नी नानीबाई ने आकर बताया कि दोनो बकरी को कोई छोड़ करके चोरी करके ले गया। फरियादी ने यह भी बताया कि दो दिन पहले ग्राम रानीपुर का देवेन्द्र मेहरा बकरी खरीदने आया था। मुझे शक है कि देवेन्द्र मेहरा ने ही मेरे

बकरियां चोरी की हैं।

4 फरियादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना बोरदेही में देवेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्र. 53/08 में धारा 379 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। विवेचना के दौरान जप्ती पत्रक बनाया गया। जप्तशुदा संपत्तियों की शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22, 23.02.2008 की दरम्यानी रात्रि ग्राम डंगरिया, आमला में फरियादी पिरमू के मकान के सामने बने खुले कोठे से सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से फरियादी नारायण के आधिपत्य से दो बकरियां कीमती 2500 रु. को बेईमानी पूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए वहां से हटाकर चोरी की ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 का निराकरण

7 पिरमु (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि घटना ग्राम डंगरिया में उसके मकान के सामने खुले कोठे के रात के समय की है। रात को उसने एक लाल रंग की और सफेद-लाल रंग की बकरियां बांधी थी, जब सुबह उठकर देखा तो दोनों बकरियां वहां पर नहीं थी। उसने थाना बोरदेही में बकरी चोरी होने की रिपोर्ट की थी। नानीबाई (अ.सा.-3) ने साक्षी के कथनों को समर्थन करते हुए यह बताया कि उनके घर के सामने बने खुले कोठे पर बंधी हुई लाल एवं सफेद-लाल रंग की बकरी जो उसने रात में बंधी थी सुबह उठने पर नहीं मिली। साक्षी ने यह बताया कि उसके पति ने बकरी चोरी होने की रिपोर्ट लेख कराई थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि ग्राम डंगरिया स्थित उनके कोठे से दो बकरियां चोरी हुई थी।

8 पिरमू (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बकरियों को किसने चुराया था। उसे रिपोर्ट करने के दूसरे दिन खटीक के पास बंधी हुई बकरियां मिल गई थी। पुलिस ने उसे सुपुर्दगी पर दे दी थी। नानीबाई (अ.सा.-3) ने भी यह बताया कि उसे यह नहीं मालूम की उसकी बकरियों को किसने चुराया था। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने अभियुक्त देवेन्द्र को ना जानना भी प्रकट किया है। उपर्युक्त दोनों ही साक्षियों से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव को गलत बताया कि घटना के एक-दो दिन पहले अभियुक्त देवेन्द्र उनके घर बकरियां खरीदने आया था परंतु उन्होंने नहीं बेची थी। इस सुझाव को भी गलत बताया कि रिपोर्ट लिखाते समय और बयान देते समय अभियुक्त देवेन्द्र पर शक जाहिर किया था।

9 सुनील (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि उसे फरियादी के बेटे ने यह बताया था कि उसकी बकरियां चोरी हो गई हैं। आमला चलना है तो मैं उसके साथ आमला आ गया था। साक्षी ने आगे यह बताया कि जब वह थाना आमला आया तो उसे अभियुक्त देवेन्द्र नहीं मिला था और पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त देवेन्द्र से ना कुछ जप्त किया था ना ही उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 23.02.2008 को अभियुक्त देवेन्द्र पिरमू के घर से चोरी हुई बकरियां बेचते हुए आमला में मिला था।

10 फरियादी पिरमू (अ.सा.-2) एवं नानीबाई (अ.सा.-3) ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि उन्होंने किसी को भी अपनी बकरी चोरी करते हुए नहीं देखा था। इस सुझाव को भी सही बताया कि बकरियां अभियुक्त देवेन्द्र के पास से नहीं मिली थी।

11 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी ने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। स्वयं फरियादी ने यह बताया है कि उसने रिपोर्ट लेख कराए जाते समय अभियुक्त देवेन्द्र के द्वारा बकरी चोरी करने के बारे में नहीं बताया था। फरियादी की ओर से प्रकरण में राजीनामा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने ही बकरियों को चुराया था तथा स्वयं फरियादी ने यह बताया कि उसकी बकरियां अभियुक्त के पास से नहीं मिली थी। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

12 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त देवेन्द्र के द्वारा फरियादी की बकरी चोरी की गई। स्वयं फरियादी पिरमू ने यह बताया कि उसकी बकरियां अभियुक्त देवेन्द्र के पास से नहीं मिली थी। किसी भी साक्षी ने यह भी प्रकट नहीं किया है कि उन्होंने अभियुक्त को बकरी को चोरी करते या उन्हें ले जाते या उन्हें बेचते हुए देखा हो। इस तरह से अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त देवेन्द्र ने फरियादी पिरमू की दो बकरियों को उनके आधिपत्य से उनकी बिना सहमति के हटाकर चोरी की। फलतः अभियुक्त देवेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्तशुदा दो बकरियां फरियादी पिरमू की अस्थाई सुपुर्दगी पर हैं। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बाबत जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)